उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग–1
संख्या–7206 / दो–1–2017–19 / 1(2) / 2005
लखनऊः दिनांक : 26 दिसंबर, 2017

विज्ञप्ति / प्रोन्नति

श्री अजीत कुमार, आई0ए0एस0–2009 की नियुक्ति केन्द्रीय प्रशासनाधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या–2369 एवं 2717 / 2009 में पारित आदेश दिनांक 08.10.2010 के अनुपालन में शारीरिक विकलांगता के आधार पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के पत्र सं0–22012/94/2010-AIS(I) दिनांक 16.1.2012 एवं पत्र सं0–22012/94/2009-AIS(I) Pt. दिनांक 14.2.2012 द्वारा सिविल सर्विस परीक्षा–2008 के आधार पर त्रिपुरा संवर्ग में वर्ष 2012 में हुई थी।

2– कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के नोटिफिकेशन सं0–13017/24/2014-AIS-I, दिनांक 24.06.2016 द्वारा अखिल भारतीय सेवायें (कैडर) नियमावली, 1954 के नियम–5(2) में निहित प्राविधानों के आधार पर श्री अजीत कुमार, आई0ए0एस0 को उनकी शारीरिक विकलांगता के आधार पर संवर्ग परिवर्तित कर उत्तर प्रदेश राज्य संवर्ग आवंटित किया गया है, जिसके क्रम में श्री अजीत कुमार द्वारा दिनांक 15.7.2016 को उत्तर प्रदेश राज्य संवर्ग में कार्यभार ग्रहण किया गया है।

3– कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के पत्र सं0–22012/94/2009-AIS(I) Pt. दिनांक 14.2.2012 में वेतन निर्धारण के संबंध में निम्नवत् उल्लिखित है :–

> You will be entitled for notional fixation of pay w.e.f. the date of joining of your batch mates but will be entitled for actual pay w.e.f. your joining the service.

4– कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के पत्र सं0–22012/94/2009-AIS(I) Pt. दिनांक 14.2.2012 के क्रम में नियुक्ति अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–193 / दो–1–2017–4 / 1(65) / 2016, दिनांक 11.5.2017 द्वारा श्री अजीत कुमार, आई0ए0एस0–2009 को उनके बैचमेट्स के सेवा में योगदान करने की तिथि से प्राकल्पिक (notional) रूप से वेतन निर्धारित करने एवं वास्तविक रूप से उसका भुगतान राज्य सरकार की सेवा में योगदान देने की तिथि से करने का निर्णय लिया गया है।

5– वर्ष 2009 बैच के आई0ए0एस0 अधिकारियों को नियुक्ति अनुभाग–1 के आदेश संख्या–219 / दो–1–2013–19 / 1(2) / 2005 टी0सी0, दिनांक 19.1.2013 द्वारा आई0ए0एस0 के वरिष्ठ समय वेतनमान में दिनांक 01.01.2013 से प्रोन्नति प्रदान की गयी है।

6– अतः श्री अजीत कुमार, आई0ए0एस0 (आर0आर0–2009) को भारतीय प्रशासनिक सेवा उ0प्र0 संवर्ग–2009 के अधिकारियों की भांति दिनांक 01.01.2013 से एतद्द्वारा श्री राज्यपाल महोदय वरिष्ठ समय वेतनमान (पे मैट्रिक्स का लेवल–11) में प्रोन्नति प्रदान करते हैं।

श्री अजीत कुमार, आई0ए0एस0 (आर0आर0–2009) की वरिष्ठ समय वेतनमान में प्रोन्नति के उपरांत वास्तविक रूप से उसका भुगतान राज्य सरकार की सेवा में योगदान देने की तिथि 15.7.2016 से किया जायेगा एवं पूर्व की अवधि (दिनांक 01.01.2013 से 14.7.2016 तक) का भुगतान त्रिपुरा सरकार द्वारा किया जायेगा।

दीपक त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव

संख्या व तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
2. मुख्य सचिव, त्रिपुरा सरकार, अगरतला

3. महालेखाकार–3, उत्तर प्रदेश जी0ए0–6 सेक्शन, इलाहाबाद
4. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश गजट के आगामी हिन्दी तथा उर्दू अंक में प्रकाशनार्थ
5. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ (जवाहर भवन / कलेक्ट्रेट)
6. श्री अजीत कुमार, विशेष सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन
7. मुख्य लेखाधिकारी एवं विशेष सचिव, इरला चेक (वेतन पर्ची अनुभाग), उत्तर प्रदेश शासन को वेतन पर्ची जारी करने हेतु
8. नियुक्ति अनुभाग–5 / 6 / 8
9. विभागीय वेबसाईट
10. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव